

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर
: आदेश :

क्रमांक...168/स्था.सैट/2019

जबलपुर, दिनांक 14/05/2019

श्री आलोक गार्गव, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इंदौर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 6 दिनांक 02.01.1995 द्वारा स्टेनोग्राफर के पद के वेतनमान 1400-3040 पर निज सहायक के पद के विरुद्ध नियुक्त किये जाने एवं उनके द्वारा निर्धारित अवधि में वांछित अर्हता प्राप्त न करने के फलस्वरूप उन्हें रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 67 दिनांक 10.01.1996 द्वारा उन्हें मूलपद नि०श्रे०लि० के पद पर पदनावत (प्रत्यावर्तित) किया गया था, जिसके विरुद्ध श्री गार्गव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 08.01.2019 को स्वीकार करते हुये उनका पदावनत (प्रत्यावर्तित) आदेश क्रमांक 67 दिनांक 10.01.1996 को वापस लेते हुये उन्हें वरिष्ठता का लाभ प्रदान करते हुये पूर्व तिथि से (Back Date) से समस्त परिलाभ प्रदान किये गये हैं ।


माननीय मुख्यन्यायाधिपति महोदय,
के आदेशानुसार

Sd/
(आर०के०वर्णा)
रजिस्ट्रार जनरल

पृ०क्रमांक...169/स्था.सैट/2019
प्रतिलिपि:-

जबलपुर, दिनांक 14/05/2019

01. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ इंदौर।
 02. रजिस्ट्रार, (प्रशासन) उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर।
 03. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ इंदौर।
 04. रजिस्ट्रार, कम पी.पी.एस उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर।
 05. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर।
 06. रजिस्ट्रार, (आई.टी) उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।
 07. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, (स्था.) उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
 08. आहरण एवं सवितरण अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर।
 09. रजिस्ट्रार, जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
 10. स्था०/लेखाशाखा, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर/खण्डपीठ इंदौर
 11. श्री आलोक गार्गव, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ इंदौर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(यू०एस०दुबे)

रजिस्ट्रार-कम पी०पी०एस०